

परामर्श :भेद्यता न्यूनीकरण कोष (वी.आर.एफ.)

1. भेद्यता न्यूनीकरण कोष (वी.आर.एफ.) प्रावधान:

वी.आर.एफ. एक निधि (कॉर्पस फंड) है जो ग्राम संगठन (ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्तर के महासंघ) को दी जाती है ताकि सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, अचानक बीमारी / अस्पताल में भर्ती, प्राकृतिक आपदा आदि में परिवार या समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को दूर किया जा सके। वी.आर.एफ. का उद्देश्य वी.ओ. भौगोलिक क्षेत्र में एस.एच.जी. के गैर-सदस्यों सहित कमजोर परिवारों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका उपयोग किसी व्यक्तिगत आवश्यकता या सामूहिक कार्रवाई के लिए किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशिष्ट कमजोरियों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निधि दी जा सकती है।

वी.आर.एफ. सामुदायिक निवेश कोष (सी.आई.एफ.) का हिस्सा है। वी.आर.एफ. के रूप में प्रति वी.ओ. 1,50,000/-रुपये तक की राशि दी जा सकती है।

2. वी.आर.एफ. प्राप्त करने के लिए पात्रता:

1. ग्राम संगठन कम से कम 12 महीने पुराना होना चाहिए (नियमित बैठक, उपस्थिति, रिकॉर्ड की अद्यतन पुस्तकें)।
2. ग्राम संगठन (वी.ओ.) को स्टार्ट-अप राशी प्राप्त होनी चाहिए।
3. ग्राम संगठन (वी.ओ.) सामाजिक कार्य समिति (ई.सी.) के सदस्यों और कैडर को सामाजिक समावेश, वी.आर.एफ.-वी.आर.पी. अवधारणा और उपयोग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
4. ग्राम संगठन (वी.ओ.) को भेद्यता न्यूनीकरण योजना (वी.आर.पी.) तैयार करनी चाहिए और वी.ओ. संकल्प के साथ वी.आर.पी. को सी.एल.एफ. को प्रस्तुत करना चाहिए। वी.आर.एफ. जारी करने के लिए वी.आर.पी. अनिवार्य है। वी.ओ. 9 महीने का होने पर वी.आर.पी. की तैयारी की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। (प्रारूप अनुलग्नक-4 के अनुसार)
5. ग्राम संगठन (वी.ओ.) को वी.आर.एफ. का प्रबंधन करने के लिए अलग से बचत बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है।

उन स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने वी.आर.एफ. राशि के प्रति सदस्यों के योगदान, गांव के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक मुट्ठी चावल और लोगों को सहायता प्रदान करने (अनाथ, बुजुर्ग, निराश्रित, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित, आपातकाल आदि) जैसी भेद्यता को दूर करने के लिए 1-2 गतिविधियों का परिचय दिया है।

3. वी.आर.पी. की तैयारी प्रक्रिया :

- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को एस.ई.सी.सी और अन्य उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों से कमजोर परिवारों का विवरण वी.ओ. को प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ग्राम संगठन (वी.ओ.) एस.ई.सी.सी. और द्वितीयक डेटा के विश्लेषण, सामाजिक मानचित्रण और समुदाय के सदस्यों के साथ फोकस समूह चर्चा आयोजित कर कमजोर परिवारों की पहचान करेगा।
- ग्राम संगठन (वी.ओ.) कमजोर परिवारों के परामर्श से परिवार वार भेद्यता में कमी की योजना तैयार कर समेकित करेगा और प्राथमिकता के लिए ई.सी. की बैठक में उपस्थित होगा।
- वी.आर.पी. में एफ.एन.एच.डब्ल्यू., आवास, लिंग, अवसंरचना/ मूलभूत जरूरत, आजीविका, विपणन, हकदारी आदि जैसी कमजोर परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना शामिल करने की आवश्यकता है।
- वी.आर.पी. को ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वी.पी.आर.पी.) और ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- ग्राम संगठन (वी.ओ.) को ग्राम सभा में वी.आर.पी. पेश करने तथा अधिकारों और हकदारियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- ग्राम संगठन (वी.ओ.) मिशन से (वी.आर.एफ.) जारी करने के लिए सी.एल.एफ. के माध्यम से बी.एम.एम.यू. को वी.ओ. ई.सी. संकल्प के साथ वी.आर.पी. प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- ग्राम संगठन (वी.ओ.) को वी.आर.पी. के कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए और अनुवर्ती और समीक्षा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- ग्राम संगठन (वी.ओ.) को छःमाही/वार्षिक आधार पर सी.एल.एफ. के माध्यम से बी.एम.एम.यू. को वी.आर.एफ. उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

4. वी.आर.एफ. जारी करने की प्रक्रिया :

वी.ओ. अनुबंध- 1 में संलग्न प्रारूप के अनुसार मिशन से वी.आर.एफ. जारी करने के लिए संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) के माध्यम से वी.ओ. ई.सी. संकल्प के साथ ब्लॉक मिशन प्रबन्ध यूनिट को वी.ओ. प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। मिशन को निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव पत्र की सूचना के लिए एक प्रति संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) को अंकित करनी होती है।

5. वी.आर.पी. प्रबंधन प्रक्रिया :

- एस.एच.जी. सदस्यता के बावजूद, वी.आर.एफ. गैर एस.एच.जी. कमजोर परिवारों को दिया जा सकता है जिन्हें वी.आर.पी. प्रक्रिया के दौरान वी.ओ. द्वारा पहचाना जाता है। आवश्यकता के आधार पर वी.आर.एफ. को वी.ओ.-ई.सी. द्वारा निर्धारित ब्याज/कम ब्याज वाले ऋण/ब्याज/अनुदान के बिना ऋण के रूप में दिया जा सकता है। वी.ओ. कमजोर परिवार की

स्थिति में सुधार के आधार पर ब्याज लेने या ब्याज बढ़ाने पर विचार कर सकता है ।

- कमजोर परिवार एस.एच.जी. को अनुरोध करेंगे और एस.एच.जी. ऋण अनुरोध का मूल्यांकन करेगा और अनुमोदन के लिए वी.ओ.-ई.सी. की सिफारिश करेगा ।
- ग्राम संगठन वी.ओ. अपनी सामाजिक कार्य समिति के समर्थन से अनुरोध का मूल्यांकन करेगा और वी.ओ. को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वी.ओ. को आवश्यकता का आकलन करना होगा और यह तय करना होगा कि क्या वे वी.आर.एफ. फंड को ऋण या सब्सिडी वाले ऋण या अनुदान के रूप में देंगे। वी.ओ.-ई.सी. एस.एच.जी. के माध्यम से कमजोर परिवार को फंड जारी करेगा ।
- आपात स्थिति के मामले में, वी.ओ.-ई.सी. मूल्यांकन प्रक्रिया में ढील दे सकता है और **रुपये 5000 /-** तक की तत्काल राहत को मंजूरी दे सकता है (वी.ओ. द्वारा निर्धारित के अनुसार)। इसे अगली बैठक में कार्योत्तर मंजूरी देने और शेष राशि जारी करने की आवश्यकता है ।
- एस.एच.जी. द्वारा सामूहिक कार्रवाई किए जाने के बाद वी.आर.एफ. अनुरोध को वी.ओ. को दे सकता है। वी.ओ.-ई.सी. के संकल्प के अनुसार, वी.ओ. सीधे सामूहिक कार्रवाई करने के लिए वी.आर.एफ. का उपयोग कर सकता है ।

6. वी.आर.एफ. पुनर्भुगतान:

- कमजोर परिवार को एस.एच.जी. के माध्यम से वी.ओ. को वी.आर.एफ. ऋण चुकाना पड़ता है ।
- वी.आर.एफ. ऋण पर एस.एच.जी. को कोई ब्याज मार्जिन नहीं मिलेगा ।
- कमजोर परिवार के लिए ऋण अवधि परिवार के नकदी प्रवाह के आधार पर तय की जा सकती है । यदि आवश्यक हो तो अधिस्थगन अवधि दी जा सकती है ।

7. वी.आर.एफ. का संवर्धन/ वृद्धि :

निरंतर आधार पर कमजोर परिवार का समर्थन करने और वी.आर.एफ. की कमी से बचने के लिए, वी.ओ. को निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया जाता है ।

- एस.एच.जी. सदस्यों को योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ।
- एस.एच.जी. और वी.ओ. वी.आर.एफ. को बढ़ाने के लिए अपनी लाभ राशि का कुछ हिस्सा योगदान कर सकते हैं ।
- ग्राम संगठन वी.ओ. पंचायत, अन्य विभागों और अन्य एजेंसियों से समर्थन प्राप्त करके धन जुटा सकता है ।

Total SHG Members (HH):

[illegible]

VRP: Baseline consolidated sheet at {VO Level}

Total SHGs in VO:

Total SHG Members/HH:[illegible]

Format-III

Vulnerability Reduction Plan (VRP) Template

Amount proposed for VRF (in Rs.)						
Amount of VRF to be disbursed						
No. of vulnerable to be received VRF (Total) As loan- As Grant-						
VO Name: Village Name: Gram Panchayat Name : Block: Dates for Conducting VRP:				VO Profile	Y/N	
				VO Member Profile	Y/N	
				Baseline survey conducted	Y/N	
				Village Vulnerability analysis	Y/N	
SHG Members						
S. No.	Names of the Member	SHG Name	Total Amount required. (in Rs.)	Purpose	Other requirements	Sign. of the members
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
Total						
Details of Collective Actions²:						
S.N.	Activity	Name of SHG	Purpose	Amount required (In Rs.)	Sign of SHG leaders/ VO leaders	
	SHG Level					
1						
2						
	VO Level					
1						
2						
Total						

Details of Gender Action Plan:

S.N	Activity	Name of SHG	Purpose of Activity	Amount Required (in Rs.)	Other requirements	Sign of SHG/VO leaders
	SHG Level:					
1						
2						
	VO Level:					
1						
2						
Total						

Details of Food, Nutrition, Health and Wash (FNHW) Action Plan:

S.N	Activity	Name of SHG	Purpose of Activity	Amount Required (in Rs.)	Other requirements	Sign Of SHG/VO leaders
	SHG Level					
1						
2						
	VO Level					
1						
2						
3						
Total						

Details of Divyaang/PwD SHG plan:

S.N.	Activity	Name of SHG	Purpose of activity	Amount required (in Rs.)	Other requirements	Sign of SHG/VO leaders
	SHG Level					
1						
2						
	VO Level					
1						
2						
3						
Total						

Details of Elderly (ESHG) plan:						
S.N.	Activity	Name of SHG	Purpose of activity	Amount required(in Rs.)	Other requirements	Sign of SHG/VO leaders
	SHG Level					
1						
2						
	VO Level					
1						
2						
Total						
Details of convergence plan:						
S.N.	Activity	Name of SHG	Purpose of Activity	Amount required(in Rs.)	Other Requirements	Sign of SHG/VO leaders
	SHG Level					
1						
2						
	VO Level					
1						
2						
Total						
Any other Needs:						
--- ---						
Plans to augment VRF:						

S.N	Items	Description		
1.	Savings/Contribution from Members			
2.	VO's Contribution			
3.	Convergence			
4.	Any other plans			
Signed by VO Leaders: President/Leader : 1 Secretary/Leader : 2 :3 :4 :5 Appraised and approved by Other VO Leaders or CLF Office Bearers:				
S. N.	Names of the Leaders	Name of the CLF/VO	Leadership Position	Signature
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Facilitated by Facilitators and Mission Staff of SRLM involved, if any:				
S. N.	Name of the Facilitators/Mission Staff	Position	Signature	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

¹ Other requirements can be training needs, accessing pension, insurance, counseling etc.

² Collective actions may include social action, support/care to destitute/elderly/orphan etc.
